न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड़

(पीठासीन अधिकारी – श्री **भागीरथराम** आर.ए.एस.)

[illegible] नं0 313/प्रार्थना–पत्र/2018
[illegible] दि0 12/03/2018

उनवान

परमेश्वर दयाल पुत्र लक्ष्मीचंद जाति कलाल निवासी खानपुर तह0 खानपुर जिला झालावाड़

— प्रार्थी

बनाम्

1. सरपंच, ग्राम पंचायत गाडरवाड़ा (डूण्डी) तहसील खानपुर
2. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील खानपुर जिला झालावाड़

— अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) आर.टी.एक्ट 1955</u>

[illegible]– श्री गिरधारीलाल नागर अधिवक्ता –प्रार्थी

<u>निर्णय</u>

दिनांक 04/10/2018

प्रार्थना–पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं। प्रार्थी ने एक प्रार्थना–पत्र धारा 251(ए) आर.टी.एक्ट 1955 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी के कब्जे एवं खाते की आराजी ग्राम गाडरवाड़ाडूण्डी तहसील खानपुर की नई खतौनी सं0 89 पुरानी 75 की आराजी ख0नं0 [illegible]/372 रकबा 16.01 बीघा, ख0नं0 380/573 रकबा 16.01 बीघा कुल 2 किता की 32.02 बीघा स्थित है। उपरोक्त वर्णित आराजी 32.02 बीघा में आने जाने व कृषि यंत्र ट्रेक्टर, ट्रोली, कमाईन्डर मशीन को अपने खेत में ले जाने लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग के रास्ते ख0नं0 366 सडक से [illegible] अप्रार्थी ग्राम पंचायत गाडरवाड़ाडूण्डी के खाते एवं कब्जे की आराजी ख0नं0 367 रकबा 15.01 बीघा व ख0नं0 369 रकबा 9.02 बीघा चरागाह से चलकर अपने खेत में पहुँचता है। प्रार्थी हमेशा से ही [illegible] फिट चौड़ाई के रास्ते से अपने कृषि यंत्र ट्रेक्टर, ट्रोली, कमाईन्डर मशीन आदि खेत ख0नं0 [illegible] में चलकर ख0नं0 367, 369 के मध्य से होकर अपने खेत में आता जाता रहा है। प्रार्थी इसका [illegible] से ही अपने रास्ते के रूप में उपयोग एवं उपभोग करता चला आ रहा है। प्रार्थी को उक्त [illegible] से होकर अपने खेत में आने जाने के रास्ते को अवरूद्ध करने का कोई अधिकार [illegible] नहीं है। प्रार्थी ने आराजियात का नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किया है, जिसमें प्रार्थी [illegible] खेत में आने जाने वाले रास्ते का अंकन लाल स्याही से डोट के निशान से किया है। [illegible] खेत पर आने जाने के लिये इस लाल स्याही से अंकित रास्ता की चौड़ाई 15 फिट में [illegible] की आराजी में प्रार्थी के उपयोग में होने वाले आराजियात की क्षति पूर्ति अपने कृषि [illegible] में से पूरी करने को तैयार है। यदि अप्रार्थी आराजियात के बदले प्रचलित दर से [illegible] प्राप्त करने में सहमत हो तो प्रार्थी उसे भी चुकाने को तैयार है। प्रार्थी द्वारा [illegible] अधिनियम के प्रावधानों की पालना करते हुये ग्राम पंचायत गाडरवाड़ाडूण्डी को धारा [illegible] अधिनियम के तहत नोटिस प्रेषित किया जा चुका है। प्रार्थी की फसल पककर [illegible] के कारण व फसल नष्ट होने का अंदेशा होने से मियाद अवधि नोटिस की पूर्ण होने [illegible] प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है।

ग्राम गाडरवाड़ाडूण्डी पूर्व में ग्राम पंचायत डोबड़ा के अन्तर्गत आता था, परन्तु [illegible] नई ग्राम पंचायत बन जाने से अब यह आराजी ख0नं0 367, 369 ग्राम [illegible] के क्षेत्र में आती है। इसलिये प्रार्थना पत्र में ग्राम पंचायत डोबड़ा को पक्षकार नहीं

[illegible] अप्रार्थी ग्राम पंचायत गाडरवाड़ाडूण्डी द्वारा प्रार्थी को अपने उपयोग एवं उपभोग के [illegible] आने जाने से रोकने के कारण व दिनांक 15.01.2017 को रास्ता अवरूद्ध करने की धमकी [illegible] मजबूर करने का कारण उत्पन्न हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है [illegible] की भूमि ग्राम गाडरवाड़ाडूण्डी की ख0नं0 380/572 रकबा 16.01 बीघा, ख0नं0 [illegible] रकबा 16.01 बीघा कुल 2 किता रकबा 32.02 बीघा पर आने जाने के लिये ग्राम [illegible] की ख0नं0 367 रकबा 15.01 बीघा, ख0नं0 369 रकबा 9.02 बीघा में 15 फिट [illegible] नक्शा ट्रेस में अंकित लाल स्याही से अंकित रास्ते को राजस्व रेकार्ड में गैर मुमकिन [illegible] दर्ज किया जावे और नक्शा ट्रेस में अंकन किया जावे और अन्य सहायता जो भी माननीय [illegible] उचित समझे अता फरमायी जावे।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया [illegible] अप्रार्थी नं0 1 ग्राम पंचायत गाडरवाड़ाडूण्डी ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुये [illegible] को जवाब पेश किया कि यदि प्रार्थी रास्ते में आने वाली आराजी की एवज में [illegible] आराजी से क्षति पूर्ति कर ग्राम पंचायत के खाते दर्ज करवा देता है तो उन्हें अपनी आराजी में [illegible] फीट चौड़ाई का रास्ता दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। इसी प्रकार अप्रार्थी न0 2 ने दि0 [illegible] को प्रार्थना पत्र प्रार्थी का जवाब प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी द्वारा अपनी आराजी में आने [illegible] के लिये जिस आराजी ख0नं0 367, 369 में से रास्ता चाहा गया है, यह आराजी राजस्व रेकार्ड [illegible] दर्ज है। ऐसे में रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि के बराबर भूमि खातेदार द्वारा [illegible] की क्षति पूर्ति हेतु देने के उपरांत ही इनके प्रार्थना पत्र पर विचार किया जा सकता है। [illegible] प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जावे। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किये [illegible] अधिवक्ता प्रार्थी को अपनी साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया गया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना [illegible] के समर्थन में अपने एवं गवाह राजेंद्र फागणा के बयान दर्ज कराये। तत्पश्चात प्रार्थना पत्र पर [illegible] प्रार्थी की बहस सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रकट किया कि ग्राम गाडरवाड़ाडूण्डी [illegible] 380/572 रकबा 16.01 बीघा, ख0नं0 380/573 रकबा 16.01 बीघा कुल 2 किता की 32.02 [illegible] आराजी प्रार्थी के खाते की है, प्रार्थी हमेशा से ही अपने कृषि यंत्र ट्रेक्टर, ट्रोली, कमाईन्डर [illegible] आदि ख0नं0 366 सड़क से चलकर ख0नं0 367, 369 के मध्य से होकर अपने खेत में आता [illegible] रहा है। वह इसका सदैव से ही अपने रास्ते के रूप में उपयोग एवं उपभोग करता चला आ [illegible] है। नक्शा ट्रेस में प्रार्थी ने रास्ते का अंकन लाल स्याही से डोट के निशान से किया है। इसके [illegible] सड़क से हमारे खेत पर आने–जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। पटवारी हल्का [illegible] की मौका रिपोर्ट के अनुसार इस रास्ते से 0.19 बीघा चरागाह भूमि कम होगी। हम रास्ते के उपयोग [illegible] आने वाली आराजियात के बदले डी0एल0सी0 दर से राशि जमा कराने को तैयार हैं अथवा उतनी [illegible] जमीन अपने खाते में से भी देने को तैयार है। हमने राजस्व रेकार्ड की नकलें पेश की हैं तथा [illegible] के बयान कराये हैं, जिनसे हमारा प्रार्थना पत्र साबित है। अप्रार्थीगण के जवाब से भी हमारे [illegible] प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है। अतः हमारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम [illegible]गाडरवाड़ाडूण्डी की हमारे खाते की ख0नं0 380/572 रकबा 16.01 बीघा, ख0नं0 380/573 रकबा [illegible] बीघा कुल 2 किता रकबा 32.02 बीघा पर आने जाने के लिये ग्राम गाडरवाड़ाडूण्डी की [illegible] 366 गैर मुम0 सड़क से लगी हुई ख0नं0 367 रकबा 15.01 बीघा, ख0नं0 369 रकबा 9.02 [illegible] में से नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से अंकित रास्ते को राजस्व रेकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे।

हमने पत्रावली का अद्योपांत अध्ययन किया एवं विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर [illegible] किया। प्रार्थी ने धारा 251 (ए)आर.टी.एक्ट 1955 अन्तर्गत के प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी अपने खाते की ग्राम गाडरवाड़ाडूण्डी की खतौनी सं0 89 की ख0नं0 380/572 की 16.01 बीघा, ख0नं0 380/573 की 16.01 बीघा कुल 2 किता की 32.02 बीघा आराजी में आने जाने व कृषि यंत्र अपने खेत में ले जाने लिये सदैव से ही सार्वजनिक निर्माण विभाग की ख0नं0 366 सड़क

[illegible] कलक्टर एवं
[illegible] अधिकारी
[illegible]पुर (झालावाड़)

ख0नं0 367 रकबा 15.01 बीघा व ख0नं0 369 रकबा 9.02 बीघा चरागाह से से चलकर आता–जाता है। उक्त रास्ते को नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से अंकित किया जावे रेकार्ड में इसे गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे। अप्रार्थी नं0 1 सरपंच ग्राम पंचायत ने अपने जवाब प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया है तथा है कि प्रार्थी रास्ते में आने वाली आराजी की ऐवज में अपनी आराजी से क्षति पूर्ति कर के खाते में दर्ज करवा देता है तो प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता दिये जाने में कोई है। अप्रार्थी नं0 2 तहसीलदार खानपुर ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया है चाहे गये रास्ते की भूमि किस्म चरागाह दर्ज रेकार्ड है। ऐसे में रास्ते के उपयोग में के बराबर भूमि प्रार्थी द्वारा चरागाह की क्षति पूर्ति हेतू देने के उपरान्त ही प्रार्थी के पर विचार किया जा सकता है। भू अभिलेख निरीक्षक खानपुर/पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी अपने खाते की आराजी 32.02 बीघा में ग्राम की ख0नं0 366 गैर मुम0 सड़क से ख0नं0 367, 369 किस्म चरागाह में होकर आते इस रास्ते के अलावा रोड से कोई वैकल्पिक रास्ता इनके खेत पर आने–जाने का नहीं है। ख0नं0 380/573 की 16.01 बीघा आराजी चरागाह आराजी से लगा हुआ है। प्रार्थी रास्ते में ख0नं0 369 की (3×50=150गट्ठा) 0.07 बीघा एवं ख0नं0 367 की गट्ठा)0.12 बीघा कुल (390 वर्ग गट्ठा) 0.19 बीघा भूमि आयेगी।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में अपने एवं गवाह राजेंद्र फागणा के बयान जिनसे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित है। अप्रार्थी नं0 1 व 2 ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र से प्रकट की है किन्तु रास्ते के ऐवज में चरागाह की क्षति पूर्ति करने हेतू निवेदन किया है। प्रस्तुत नक्शा ट्रेस के अनुसार प्रार्थी के खाते की ख0नं0 380/573 की 16.01 बीघा चरागाह से लगी हुई है। प्रार्थी रास्ते की आराजी की डी0एल0सी0 दर से राशि भुगतान अपने खाते से चरागाह हेतू भूमि देकर क्षति पूर्ति करने में सहमत है। चूँकि चाही गयी की किस्म चरागाह है, ऐसे में इसकी क्षति पूर्ति किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। उपरोक्त के अनुसार प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र को रेकार्ड एवं मौखिक साक्ष्य से साबित कराया है। में व्यापहित में कृषक/प्रार्थी को अपने खेत पर आने–जाने के लिये चाहा गया रास्ता दिया उचित है। चूँकि राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद फिट में न होकर बीघा/बिस्वा में होता है। में इस प्रार्थना पत्र में वर्णित रास्ते का निर्णय भी बीघा/बिस्वा के हिसाब से किया जाना है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थी के खाते की आराजी गाडरवाड़ाडूण्डी की खतौनी सं0 89 की आराजी ख0नं0 380/572 की 16.01 बीघा, ख0नं0 573 की 16.01 बीघा कुल 2 किता की 32.02 बीघा आराजी में आने–जाने व कृषि यंत्र अपने ले जाने–ले जाने लिये ग्राम गाडरवाड़ाडूण्डी की ख0नं0 366 गैर मुम0 सड़क से लगी हुई आराजी ख0नं0 367 में से 3 गट्ठा चौड़ा व 80 गट्ठा लम्बा(0.12बीघा), इसी प्रकार ख0नं0 में से 3 गट्ठा चौड़ा व 50 गट्ठा लम्बा (0.07बीघा) रास्ता दिये जाने की आज्ञा निम्नांकित शर्तों के आधीन पारित की जाती है।

1. प्रार्थी के खाते की ख0नं0 380/573 की 16.01 बीघा आराजी जो चरागाह से लगी हुई है, में से 0.19 बीघा आराजी कम की जाकर किस्म चरागाह दर्ज की जाकर चरागाह आराजी की क्षति पूर्ति की जावे।
2. प्रार्थी उक्त 0.19 बीघा चरागाह आराजी की वर्तमान डी0एल0सी0 दर से कीमत की दो गुनी राशि राजकोष में जमा करायेंगे।

उपरोक्त शर्तों की पालना किये जाने के उपरांत ही रास्ते के उपयोग में आने वाली गाडरवाड़ाडूण्डी की ख0नं0 367 की 0.07 बीघा व ख0नं0 369 की 0.12 बीघा कुल 2 किता

कलक्टर एव
अधिकारी
खानपुर (झालावाड़)

[illegible] आराजी को चरागाह से कम कर राजस्व रेकार्ड में गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किया [illegible] ट्रेस में भी इसकी तरमीम की जावे। राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतू [illegible] तहसीलदार खानपुर को भिजवायी जावे। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से [illegible] तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
खानपुर (झालावाड़)

निर्णय आज दिनांक 04/10/2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
खानपुर (झालावाड़)